

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3427
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

जनजातीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों का कार्यकरण

3427. **श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों में जनजातीय बच्चों, किशोरियों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण, रक्ताल्पता, स्टंटिंग और वेस्टिंग का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के उक्त क्षेत्रों में पोषण और पूरक आहार कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूली पोषण कार्यक्रमों के कार्यकरण में कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जनजातीय पोषण कार्यक्रमों के लिए आबंटित, जारी की गई/ उपयोग की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) महाराष्ट्र में विशेष रूप से आकांक्षी और जनजातीय जिलों में अनुसूचित जनजातियों में पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने, रक्ताल्पता को दूर करने और कुपोषण को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): वर्ष 2021 में, विश्व बैंक ने बच्चों में बौनेपन और महिलाओं में एनीमिया के सबसे अधिक मामले वाले महाराष्ट्र सहित 11 प्राथमिकता वाले राज्यों में पोषण अभियान पर एक सर्वेक्षण आयोजित किया। निष्कर्षों से पता चला कि पोषण अभियान के माध्यम

से दी जाने वाली सेवाएं अर्थात प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गृह दौरे, और समुदाय आधारित कार्यक्रमों में उपस्थिति, बेहतर पोषण व्यवहार से संबंधित थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संबंधी संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे, और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों में केवल स्तनपान कराया।

मिशन पोषण 2.0, देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। मंत्रालय द्वारा 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन का उपयोग करके योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है। महाराष्ट्र सहित देश में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड: <https://www.poshantracker.in/statistics>. पर उपलब्ध है।

महाराष्ट्र को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जारी की गई निधि का ब्यौरा:

(रुपये करोड़ में)			
महाराष्ट्र के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	जारी की गई निधि 2022-23	जारी की गई निधि 2023-24	जारी की गई निधि 2024-25
	1646.17	1699.52	1368.84

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आकांक्षी और जनजातीय जिलों सहित राज्य में कुपोषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं:

- **पूरक पोषण कार्यक्रम:** आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों और माताओं को 'टेक होम राशन' और ताजा पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है।
- **नियमित स्वास्थ्य जांच :** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा बच्चों और माताओं की लंबाई और वजन मापकर उनके पोषण स्तर की नियमित निगरानी की जाती है और स्वास्थ्य विभाग की मदद से नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है।

- **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना:** जनजातीय जिलों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित आहार प्रदान किया जाता है, जिसमें महीने में 25 दिन प्रतिदिन एक बार पौष्टिक भोजन देना शामिल है, जबकि बच्चों को महीने में 16 दिन अंडे या केले मिलते हैं।
- **गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए पहल:** तीव्र कुपोषित बच्चों को गांव/शहरी बाल विकास केंद्रों और पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से ऊर्जा से भरपूर पोषण युक्त भोजन तथा आवश्यकतानुसार गंभीर चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जाता है।
- **पोषण अभियान:** बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता पहलें की जाती हैं।
- **बच्चे के पहले सुनहरे 1,000 दिन:** गर्भधारण से लेकर दो वर्ष की आयु तक, बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
- **संयुक्त जांच :** बच्चों का पूर्ण टीकाकरण और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु वर्ष में कम से कम दो बार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संयुक्त स्वास्थ्य जांच की जाती है।
